संख्या:68/2020/661/35-4-2020

प्रेषक ,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 10 अगस्त, 2020

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020 दिनांक 28 मार्च,2020 द्वारा 16 राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति निर्गत की गई थी, जिसमें से जनपद-कौशाम्बी के **विधान सभा क्षेत्र चायल में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य** हेतु रू. 1110.07 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 444.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। एतद्द्वारा उक्त शासनादेश में इंगित भूमि के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-:

स्वीकृति शासनादेश में अंकित भूमि का विवरण	संशोधित भूमि का विवरण
विधान सभा क्षेत्र चायल के ग्राम रसूलाबाद उर्फ कोइलहा के गाटा सं0-102 व 28 रकबा 0.9585 व 0.5136 (3.64 एकड़)	विधान सभा क्षेत्र चायल के ग्राम-मोहिद्दीनपुर गौस उपरहार तहसील-चायल गाटा सं0-290 मि0 रकबा 1.826 हे0 बंजर भूमि

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1014/दस-2020 दिनांक 06 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या:68/2020/661(1)/35-4-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण□लायुक्त, प्रयागराज मण□ल।
8- निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,लखनऊ,उ0प्र0।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कौशाम्बी
15- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,कौशम्बी।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in